सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी

डॉ० एम० आर० सकलानी
देहरादून

किसी भी देश की अस्मिता उसकी भाषा से होती है, भाषा ही एक ऐसा सेतु है जो सम्पूर्ण देश को राष्ट्रीय एकता में बांधता है। देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने एक राष्ट्र, एक राष्ट्रीय ध्वज और एक राष्ट्रभाषा का सपना देखा उसी के परिणिति स्वरूप हिन्दी को सर्वसम्मति से राजभाषा का दर्जा मिला। आज हिन्दी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और सम्पर्क भाषा के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। जहाँ तक राजभाषा का प्रश्न है इसकी अस्मिता का श्रोत संविधान है जबकि सम्पर्क भाषा की अस्मिता का स्रोत सामाजिक प्रयोजनवता है। सम्पर्क भाषा का विकास मूलतः प्राकृतिक एवं स्वैच्छिक आधार पर होता है यह सामाजिक आवश्यकता से अभिप्रेरित होता है।

सम्पर्क भाषा से तात्पर्य वह भाषा है जो दो अलग–अलग भाषा–भाषियों के मध्य सम्पर्क का माध्यम होती है, जिसके द्वारा भावों एवं विचारों में आदान–प्रदान किया जाता है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उसकी सम्पर्क भाषा होती है। राष्ट्रभाषा या सम्पर्क भाषा की उपेक्षा राष्ट्र की उपेक्षा है, यह सम्पूर्ण देश के विभिन्न राज्यों को आपस में मिलाती है। यदि देश में सम्पर्क भाषा न हो तो विभिन्न भाषा–भाषी आपस में व्यवहार नहीं कर सकते। हमारे विभिन्न राज्यों एवं भाषाओं में संस्कृति के जो भिन्न–भिन्न रूप विकसित हैं उनका आपस में समन्वय सम्पर्क भाषा से ही हो सकता है। हिन्दी ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रयोग के कारण सहजता और सुबोधता के कारण सम्पर्क भाषा का स्थान लिया है। आज हिन्दी भारत की नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को व्यक्तियों से जोड़ी हुई दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि हिन्दी जन संचार माध्यमों के क्षेत्र में विकसित हो रही है। चाहे वह समाचार पत्र हो या टेलीविजन या रेडियो, समाचार ऐजेन्सियों या टेलीप्रिन्टर सेवा या कम्पयूटर हिन्दी जन सामान्य की सेवा के लिए तैयार है। हिन्दी सिनेमा या वी०सी०आर० या कैसेट इनके माध्यम से भारतीय संगीत या नृत्य आदि हिन्दी की लोकप्रियता को हिन्दी सम्पर्क भाषा के रूप में देश में ही नहीं विदेशों में भी फैल रही है।

हिन्दी शताब्दियों से इस देश की सम्पर्क भाषा रही है और बहुत अंशों में राजभाषा भी। कबीर, नानक, दादू, नामदेव, रसखान आदि संत कवियों ने जनसाधारण तक अपनी बात के संप्रेषण के लिए हिन्दी में ही उपदेश दिए हैं। हिन्दी को अपनी क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक भाषाओं से कोई दुराव नहीं, बल्कि गहरी आत्मीयता है।

हिन्दी के सार्वदेशिक महत्व पर विचार करते हुए देश के समाज सुधारकों एवं देशभक्तों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने हिन्दी को ही अपने रचनात्मक कार्यक्रमों का अंग बनाया। हिन्दी की प्रथम पत्रिका 'उदण्ड मार्तण्ड' का प्रकाशन भी कलकत्ता से हुआ। हिन्दी न केवल देश के करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक और सम्पर्क भाषा है वरन् बोलने और समझने की संख्या की दृष्टि से संसार की तृतीय बड़ी भाषा है। भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा–भाषियों ने हिन्दी के विकास में अपना योगदान दिया। समाचार–पत्र भी सम्पर्क भाषा हिन्दी को सक्षम बना रहे हैं। चलचित्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

हिन्दी का सार्वदेशिक महत्व का इतिहास काफी प्राचीन है। सैकड़ों वर्षों से हमारे देश के सन्तों, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों ने सम्पूर्ण देश में घूम–घूमकर हिन्दी को सम्पूर्ण देश में फैलाया। कितने ही हिन्दी भाषी सन्तों ने हिन्दी में अपनी रचना प्रस्तुत कर इसकी सार्वदेशिकता पर अपनी मोहर लगाई है। अमीर खुसरो और उनसे पूर्व तथा इसके बाद के मुसलमान कवियों ने हिन्दी में ही रचनाएं की हैं। हिन्दी न केवल हिन्दी भाषियों की सम्पर्क भाषा है अपितु यह हिन्दीत्तर भाषियों की भी एक मात्र सम्पर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के रूप में सम्पर्क भाषा के तीन प्रधान कार्यक्षेत्र हैं–

1. **व्यावहारिकः** देश की जनता के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की भाषा तथा उच्च शिक्षा, साहित्य एवं ज्ञान–विज्ञान की राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का अन्तर्देशीय क्षेत्र।
2. **सरकारीः** शासकीय, वैधानिक तथा न्यायिक व्यवहार और केन्द्र एवं अन्तर्राज्य शासकीय व्यवहार का क्षेत्र।

अन्तर्राष्ट्रीयः केन्द्र, राज्य तथा राष्ट्रीय नेताओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का क्षेत्र। इस प्रकार हिन्दी तीनों क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

भारत के धार्मिक स्थानों एवं तीर्थस्थानों की भाषा हिन्दी ही है, जैसे–इलाहाबाद और हरिद्वार आदि तीर्थस्थान में कुम्भ के अवसरों पर इकट्ठे होने वाले करोड़ों भारतवासियों में हिन्दी एवं हिन्दीतर भाषी राज्यों के लाखों करोड़ों लोग ऐसे स्थान पर आते हैं तो उनके आदान–प्रदान की एक मात्र सम्पर्क भाषा हिन्दी में होती है। इस प्रकार असम, तमिलनाडु और देश से बाहर बंगलादेश और पाकिस्तान आदि से मुसलमान दरगाह–ए–शरीफ अजमेर में एकत्र होते हैं और बातचीत हिन्दी दूसरी शैली हिन्दोस्तानी में करते हैं। इस भाषा के माध्यम से देश के साहित्य, धर्म दर्शन एवं कला की भावना को राष्ट्रीय परिवेश में व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रीय एकता की कल्पना सम्पर्क भाषा के माध्यम से ही चरितार्थ होती है। इसलिए सम्पर्क भाषा राष्ट्र की भावनात्मक एकता की आधारशिला है। सम्पर्क भाषा जितनी जनप्रिय, व्यापक सरल और उन्नत होगी राष्ट्र में भावनात्मक एकता भी उतनी सुदृढ़ होगी।

हिन्दी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की भाषा रही। देश के कोने–कोने से आकर एक–जुट होने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हिन्दी को ही अपनी सम्पर्क भाषा मानते थे। हिन्दी वह नींव है जिस पर महात्मा गांधी ने सम्पूर्ण राष्ट्र को एक होने का सन्देश दिया और वे इसमें सफल भी हुए। भारत के अनेक सन्तों, सुधारकों और नेताओं ने अपनी दूरदर्शिता के कारण हिन्दी को ही प्रचार का साधन बनाया, जो देश के सभी क्षेत्रों के सम्पूर्ण जनमानस को एकता के सूत्र में पिरो सके।

हिन्दी ही ऐसी सशक्त, सम्पन्न और समृद्धभाषा है। यही भारत की जनभाषा, सम्पर्क भाषा और संसर्ग भाषा है। यही भाषा भारत की अन्य भाषाओं की ओर उदार, व्यापक एवं समन्वयवादी दृष्टि रखते हुए भारत की विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न विधाओं एवं विभिन्न कलाओं का संगम है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहटी से चौपाटी तक भारत के पर्यटक एवं तीर्थयात्री हिन्दी भाषा को ही सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तीर्थस्थलों में जब हिन्दीतर भाषा–भाषी राज्यों के तीर्थयात्री आपस में मिलते हैं तो उस समय हिन्दी ही एकमात्र सम्पर्क भाषा होती है। ब्रिटिश काल में मारीशस, फिजी, सुरीनाम, गुयाना आदि देशों में भारत के विभिन्न भागों के मजदूर गए, उनकी आपस की सम्पर्क भाषा भी स्वाभाविक रूप से हिन्दी बन गई।

आज हिन्दी न केवल हिन्दी प्रदेश की भाषा है बल्कि यह एक अखिल भारतीय सम्पर्क माध्यम के रूप में विकसित हुई है। राष्ट्रीय आन्दोलन के सन्दर्भ में हिन्दी ने सम्पूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधा।

वस्तुतः राष्ट्रीय एकता को स्थायी बनाने और सुदृढ़ करने में हिन्दी निश्चय ही अन्य भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषा की तुलना में अधिक उल्लेखनीय भूमिका निभा सकती है। हिन्दी एक विकासशील भाषा है और जो आज अपना प्रयोग–क्षेत्र पर्याप्त, विस्तृत और व्यापक करती जा रही है। वस्तुतः जब किसी भाषा को उसके व्यापक सन्दर्भों में बढ़ने का अवसर मिलता है, तब वह अपने–आप अधिक सक्षम और समृद्ध बनती चली जाती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पारस्परिक आदान–प्रदान और सहयोग की भावना से प्रेरित होकर हिन्दी को ऐसे कार्यक्षेत्रों में बढ़ाने का अवसर दें, जहाँ अब तक अंग्रेजी प्रयोग में आ रही है। ऐसा होने पर ही भारत सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र कहलाएगा और देश की जनता सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टि से एक–दूसरे के निकट आएगी, राष्ट्रीय एकता का स्वप्न पूरा होगा और पूरे भारत में हिन्दी सम्पर्क–भाषा का दायित्व निभाएगी।